जेपीआर 5—651

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

FU(24)PFIII
क्र0जेपीडी / अअ / वा. / अधिअभि (वा– I) / जेपीआर / प्रे0 830 दिनांक 28.05.2012

आदेश

विषय – 100 से कम आबादी वाली ढ़ाणियों में 'मुख्य मंत्री सबके लिए' विद्युत योजना के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के क्रम में।

100 से कम आबादी की ढ़ाणियों में "मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना" (संशोधित) 2012 के अन्तर्गत घरेलू कनेक्शन देने के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. यह योजना केवल 100 से कम आबादी की ढ़ाणियों के लिये है।
2. 5 आवासों के लिए समूह में आवेदन करने वाले आवेदकों को इस योजना में कनेक्शन दिये जायेंगे।
3. 100 से अधिक आबादी वाली ढ़ाणियों के लिए अलग से योजना प्रस्तावित है। अतः उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
4. इस योजना में 5 आवेदकों के समूह में आवेदन पत्र 1 जून 2012 से 30 जून 2012 तक ही लिये जायेंगे।
5. प्रत्येक समूह के लिए, स्थापित विद्युत तंत्र से, अधिकतम 2 किलोमीटर एल.टी. व एच.टी. (दोनों मिलाकर) लाईन खींचकर व 5 केवीए के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर घरेलू कनेक्शन दिये जायेंगे। इस योजना में 5 केवीए से अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जायेगा।
6. वितरण तंत्र की स्थापना के लिए अधिकतम 2.5 लाख रूपये तक की व्यय सीमा के अन्तर्गत एक समूह को घरेलू कनेक्शन दिये जायेंगे।
7. एक आवेदक का अधिकतम सम्बद्ध भार 1 किलोवाट से अधिक नहीं होगा।

24/5/12

e/joshi/se.comml.letters

8. प्रत्येक आवेदक द्वारा निर्धारित मांग राशि 3500/- रूपये प्रति कनेक्शन देय होगी।

9. आवेदन की राशि 200/- रूपये प्रति कनेक्शन होगी जो लौटाई नहीं जायेगी।

10. प्रत्येक समूह के लिए विद्युत तंत्र को स्थापित करने के लिए बनाये गये प्रस्तावित अनुमानकों की स्वीकृति संबंधित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 100 से कम आबादी के प्रमाणीकरण करने के उपरान्त ही जारी की जायेगी।

11. संबंधित सहायक अभियन्ता दिये गये कनेक्शनों का विवरण मुख्य लेखाधिकारी (ए.टी.आर.) जयपुर डिस्कॉम जयपुर को प्रेषित करेंगे। मुख्य लेखाधिकारी (एटीआर) राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (claim) प्रेषित करेंगे ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

12. इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों में कुल 30 हजार घरेलू कनेक्शन (प्रत्येक को दस –दस हजार) देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जयपुर डिस्कॉम में जिलेवार दिये जाने वाले कनेक्शनों का निर्धारण जनगणना –2001 में वर्णित कुल रूरल हाऊस होल्ड की संख्या के अनुसार किया गया हैं। जनगणना –2001 के अनुसार दिये जाने वाले कनेक्शनों के लिये जिलेवार लक्ष्यों की सूची अनुलग्न "अ" पर संलग्न है। प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर दिये जाने वाले कनेक्शनों का पुनः निर्धारण अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर करेंगे।

आज्ञा से,

(एस0 सी0 शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

e/joshi/se.comml.letters

अनुलग्नक 'अ'

मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले घरेलू कनेक्शनों का जिलेवार निर्धारित लक्ष्य, वर्ष 2012–13

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल रूरल हाऊस होल्ड की संख्य – जनगणना 2001 के अनुसार	मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए कुल अनुमानित ग्रामीण उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू कनेक्शनों की संख्या
1	2	3	4
(अ) जयपुर डिस्कॉम			
1.	अलवर	383844	1660
2.	भरतपुर	247936	1072
3.	धौलपुर	115527	500
4.	दौसा	172097	745
5.	करौली	154877	670
6.	जयपुर	367891	1590
7.	झालावाड़	172242	745
8.	बारां	141215	610
9.	कोटा	124985	540
10.	बूंदी	136878	592
11.	सवाईमाधोपुर	141589	612
12.	टोंक	153612	664
	कुल (अ)	**2312693**	**10,000**

e/joshi/se.comml.letters